**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2799**

**17 दिसम्बर, 2014 को उत्तर के लिए**

## सरकार और इस्पात संयंत्रों के गैर-सरकारी संचालकों के बीच समझौता-ज्ञापन

**2799. श्री परिमल नथवानी:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार और गैर-सरकारी संचालकों के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापनों (एमओयू) की वर्ष-वार, राज्य-वार और कंपनी-वार संख्या क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक समझौता-ज्ञापन की वर्तमान स्थिति क्या है और इनमें कितनी-कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या कई कंपनियों द्वारा इन समझौता- ज्ञापनों के तहत यथा प्रस्तावित संयंत्र स्थापित करने का कार्य शुरू किया जाना अभी बाकी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मंत्रालय का इस्पात संयंत्रों की स्थापना में हो रही असामान्य देरी के मद्देनज़र समझौता-ज्ञापनों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**इस्पात और खान राज्य मंत्री** **श्री विष्णु देव साय**

(क) से (ड.) : इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते समझौता ज्ञापन (एमओयू) संबंधित राज्य सरकार और संबंधित इस्पात निवेशकों के बीच शुद्ध रूप से एक समझौता है। इस्पात मंत्रालय इस प्रकार के समझौता ज्ञापनों का रिकॉर्ड नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त, देश में इस्पात निवेशकों द्वारा इस्पात संयंत्रों की स्थापना से संबंधित निर्णय कच्चे माल की उपलब्धता और परियोजना की वाणिज्यक व्यवहार्यता के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार की भूमिका एक सुविधवादाता मात्र के रूप में होती है। सरकार, जब भी अनुरोध किया जाता है तो सभी संभावित अनिवार्य सहायता प्रदान करती है।

*****